तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी / एल.आर / 196 / 2006 / सवाई माधोपुर **गोपी बनाम सरकार**	
	एकल–पीठ **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य**	
10-12-2025	**उपस्थित :** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी	

आदेश

1– हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा किस्म चारागाह पर प्रार्थी गोपी पुत्र ओंकार द्वारा संवत् 2060 में नाजायज रूप से फसल गेंहू/सरसो की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का ने तहसीलदार बौली के समक्ष प्रकरण पेश किया, जिस पर तहसीलदार बौली ने निर्णय दिनांक 28–04–2004 द्वारा प्रार्थी पर शास्ती आरोपित करते हुए कब्जा भूमि से बेदखल कर बार–बार अतिक्रमण करने स्वरूप 90 दिवस की सिविल जेल का आदेश दिया। प्रार्थी ने इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष पेश की, जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25–8–2004 को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश बहाल रखते हुए अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी की द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष पेश होने पर द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30–11–2005 द्वारा अपील खारिज करते हुए जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का आदेश बहाल रखा, जिससे व्यथित प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि विवादित भूमि के पास ही स्थित है जिसकी सही सीमांकन नहीं होने के कारण यह विवाद पैदा हुआ है। प्रार्थी का विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। तहसीलदार बौली द्वारा प्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमणी मानने में त्रुटि की है, क्योंकि प्रार्थी को पूर्व में कोई आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल.आर / 196 / 2006 / सवाई माधोपुर** **गोपी बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पारित कर मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। नियमानुसार संबंधित हितबद्ध पक्षकार के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सूचित कर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, परंतु तहसीलदार बौली द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत प्रार्थी को प्रोपर तामील करवाये बिना उसे सुनवाई के अवसर से वंछित रखते हुये क्षेत्राधिकार से विपरीत जा कर कार्यवाही कर इकतरफा में आदेश पारित किया गया है, जिसे दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने भी नजरअंदाज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। अतः उक्त निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावें।

4— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के विरूद्ध आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का नोटिस दिये जाने के उपरांत पटवार हल्का का बयान आदि लिया जाकर आदेश जैर निगरानी पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों में प्रार्थी ने बिना दस्तावेजात पेश किये मात्र मौखिक कथनों के आधार पर स्वयं को अतिक्रमणी मानने से इनकार किया है जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। पूर्व में प्रार्थी का अतिक्रमण हटाया गया था, जिस पर उसके द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया। तहसीलदार बौली द्वारा उन्हें प्राप्त अधिकारिता अनुसार पटवारी की विस्तृत व स्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया था तथा दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी अपील के बिन्दुओं का पूर्ण विश्लेषण करते हुये भूमि किस्म चारागाह होना पाते हुये प्रार्थी द्वारा इस पर अतिक्रमण करना अनुचित होने के विनिश्चय के साथ अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को विधिसम्मत व उचित पाते हुये अपील खारिज की गई हैं। तहसीलदार तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के निर्णय त्रुटिहीन होने के कारण हस्तगत निगरानी खारिज की जावे।

5— उभय पक्ष के काबिल अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार बौंली द्वारा संबंधित पत्रावली सन् 2007 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जल कर नष्ट होना रिपोर्ट करने पर उभय पक्ष की सहमति के उपरांत अधीनस्थ दोनों न्यायालयों की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निगरानी पत्रावली निर्णीत की जा रही है।

6— तहसीलदार बौंली द्वारा संवत् 2060 रबी फसल में प्रार्थी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि 387 / 4 / 1, 387 / 5, 387 / 8, 405 व 408 / 1 / 1 / 1 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पर पुनः अतिक्रमण कर सरसों व गेंहू की फसल काश्त करने पर धारा 91 की कार्यवाही के तहत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / एल.आर / 196 / 2006 / सवाई माधोपुर</u>** **<u>गोपी बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये लेकिन उसके उपस्थित न होने पर रिकॉर्ड के अवलोकन तथा पटवारी की साक्ष्य लेते हुये प्रार्थी की बेदखली व शास्ती आरोपित करने का आदेश किया गया है। साथ ही राजकीय भूमि पर कब्जा न छोड़ने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91(3) के तहत सिविल कारावास से भी दंडित किया गया है। प्रार्थी का राजकीय चरागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करना साबित है, इसलिए अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसीलदार बौंली के आदेश को यथावत रखते हुये प्रार्थी की अपील खारिज की जाने के निर्णय में हम कोई त्रुटि होना नहीं मानते हैं। अतः बेदखली व शास्ती बाबत हस्तगत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अगर प्रार्थी ने उक्त चरागाह भूमि पर कब्जा छोड़ दिया है तथा मुताबिक आदेश तहसीलदार शास्ती जमा करवा दी है तो उसे धारा 91(3) के तहत सिविल कारावास के दण्ड से निमुक्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। तहसीलदार बौंली को भी आदेश की एक प्रति भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया । **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	